

मेसर्स विप्रो लिमिटेड -एसईजेड, पुणे, के आईटी/आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, का जोनल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, सीपज़ एसईजेड, मुंबई में दि 01.07.2026 को आयोजित 36 वी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।		
1	एसईजेड का नाम	मेसर्स विप्रो लिमिटेड -एसईजेड
2	क्षेत्र	आईटी/आईटीईएस
3	मीटिंग नं	36 वीं
4	तारीख	01.07.2026

उपस्थित सदस्य

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ, संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्री अभिनव राठी उप आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	श्री संजीव पाटिल, उद्योग अधिकारी, पुणे क्षेत्र	महाराष्ट्र सरकार का नामांकित
4	श्री प्लेटो लोबो, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशक	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
5	श्री नवनाथ अवताडे, उप क्षेत्रीय अधिकारी	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित
6	श्री. प्रशान्त रोहनकर, अधीक्षक	कस्टम्स, पुणे के नामित व्यक्ति

विशेष आमंत्रित

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री शम्भू दयाल मीना, विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीपज़-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर **01: 07.05.2026** को आयोजित **35 वीं बैठक** के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 07.05.2026 को आयोजित 35 वीं यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा विषय क्र **02: 07.05.2026** को आयोजित **35 वीं बैठक** के कार्यवृत्त के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 07.05.2026 को आयोजित बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की ।

एजेंडा आइटम नंबर **03: मेसर्स विप्रो लिमिटेड -डेवलपर द्वारा अधिकृत परिचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची के लिए आवेदन पेश किया गया ।**

विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने डेवलपर के अनुरोध पर विचार किया तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 12(2) के अंतर्गत चार्टर्ड इंजीनियर टी.एन. सुरेश कुमार, एएम 78162-5 द्वारा विधिवत प्रमाणित **₹ 238.715 करोड़** कि कुल लागत से संबंधित विद्यमान अवसंरचना के नवीनीकरण हेतु संदर्भ में आवश्यक अतिरिक्त वस्तुएं और सेवाओं की सूची को अनुमोदित किया ।

Sr No	Name of Authorized Operation	Annexure	Goods / Services against Facility, security and IT Infrastructure. (Amt in Cr.)	Duty Forgone (In Cr.)
1.	Estimated Value of Goods against Facility, security and IT Infrastructure	I	42.915 करोड़	11.50 करोड़
2.	Estimated Value of Services against Facility, security and IT Infrastructure	II	195.80 करोड़	35.24 करोड़
	कुल मूल्य (₹. में करोड़)		238.715 करोड़	46.74 करोड़

एजेंडा आइटम नंबर 04: मेसर्स विप्रो लिमिटेड यूनिट – I के प्रदर्शन की निगरानी

विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने सेज नियम, 2006 के नियम 54 के प्रावधानों के अंतर्गत इकाई के 18 वर्षों के प्रदर्शन (प्रथम ब्लॉक के 5 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक, द्वितीय ब्लॉक के 5 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक, तृतीय ब्लॉक अवधि के 5 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक तथा चतुर्थ ब्लॉक अवधि के 3 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक) का संज्ञान लिया।

- इकाई ने प्रथम ब्लॉक अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2007-08 (वित्त वर्ष 2006-07 के 2 माह सहित) से वित्त वर्ष 2011-12 तक ₹870.00 करोड़ के अनुमानित निर्यात के विरुद्ध ₹2976.51 करोड़ का निर्यात राजस्व प्राप्त किया तथा ₹2955.35 करोड़ का सकारात्मक संचयी एनएफई (Positive Cumulative NFE) अर्जित किया।
- इकाई ने दूसरे ब्लॉक अवधि के पाँच वर्षों में अर्थात वित्त वर्ष **2012-13 से 2016-17** में **5187.73 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात की तुलना में **9940.82 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है और संचयी आधार पर **9905.62 करोड़ रुपये** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने तीसरे ब्लॉक अवधि के पाँच वर्षों में अर्थात वित्त वर्ष **2017-18 से 2021-22** में **11265.00 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात की तुलना में **12206.63 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है और संचयी आधार पर **12178.93 करोड़ रुपये** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने चौथे ब्लॉक अवधि के तीन वर्षों में अर्थात वित्त वर्ष **2022-23 से 2024-25** में **10033.03 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात की तुलना में **5093.92 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है और संचयी आधार पर **5075.99 करोड़ रुपये** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- विनिर्दिष्ट अधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार, इकाई ने **31.03.2025** तक **458 कर्मचारी (पुरुष-275, महिला- 183)** रोजगार प्राप्त किया है।
- समिति ने विनिर्दिष्ट अधिकारी (SO) की रिपोर्ट के संदर्भ में अवलोकन किया कि इकाई द्वारा नीचे दिए गए विवरणानुसार भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त भुगतानों के विरुद्ध डीटीए (DTA) में सेवाएं प्रदान की गई हैं:

वर्ष	डीटीए बिक्री आईएनआर में, राशि करोड़ रु. में
2007-08	5.89
2008-09	2.43
2009-10	87.29
2010-11	113.35
2011-12	51.93
2012-13	11.66
2013-14	37.88
2014-15	63.72

2015-16	52.71
2016-17	302.32
2017-18	380.5719
2018-19	332.8624
2019-20	231.8378
2020-21	287.5356
2021-22	323.4256
2022-23	223.7144
2023-24	57.5155
2024-25	1.8475
Total	2568.4907

चूंकि यनित को विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त हुआ है, इसलिए अनुमोदन समिति ने एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) (iii) के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए एससीएन जारी करने का निर्देश दिया।

- यह देखा गया है कि एपीआर दाखिल करने में देरी हुई थी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

APR for the year	Date of filing	Last Date of filling	Delay
2007-08	04.09.2008	30.06.2008	2 Months 5 days
2008-09	02.09.2009	30.06.2009	2 Months 3 days
2009-10	01.07.2010	30.06.2010	1 day
2011-12	07.04.2014	30.06.2012	21 Months 8 days
2014-15	17.07.2015	30.06.2015	17 days
2015-16	05.07.2016	30.06.2016	5 days
Total delay			26 Months 9 Days

- चूंकि इकाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर एपीआर (APR) दाखिल करने में विफल रही है, अतः समिति ने इकाई को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने का निर्देश दिया।
- विनिर्दिष्ट अधिकारी (Specified Officer) ने समिति को अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2007-08 से 2016-17 की अवधि हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण रिपोर्ट इकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए एपीआर (APR) के आधार पर तैयार की गई है। इस संबंध में, समिति ने इकाई को एपीआर में प्रस्तुत की गई जानकारी की सटीकता एवं सत्यता के संबंध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा उक्त जानकारी को इस यूएसी (UAC) बैठक में प्रदर्शन की निगरानी हेतु विचार में लिया गया।
- समिति ने इकाई को निगरानी अवधि के लिए पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) के अमॉर्टाईजेशन (Amortization) आंकड़ों में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया।

एजेंडा आइटम नंबर 04: मेसर्स विप्रो लिमिटेड यूनिट – IV के प्रदर्शन की निगरानी

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, इकाई के दूसरे ब्लॉक अवधि (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21) के पाँचवें वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 और तीसरे ब्लॉक अवधि के पाँच वर्षों यानी (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए प्रदर्शन नोट किया। विवरण इस प्रकार है।

- इकाई ने द्वितीय ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21) के 5वें वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 में ₹5.27 करोड़ के अनुमानित निर्यात के विरुद्ध ₹32.78 करोड़ का निर्यात राजस्व प्राप्त किया।
- इकाई ने द्वितीय ब्लॉक अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमानित एनएफई (Projected NFE) की तुलना में ₹75.89 करोड़ का सकारात्मक संचयी एनएफई (Positive Cumulative NFE) अर्जित किया, जो अनुमानित एनएफई का 315% है।
- इकाई ने तृतीय ब्लॉक अवधि के 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ₹88.72 करोड़ के अनुमानित निर्यात के विरुद्ध ₹133.98 करोड़ का निर्यात राजस्व प्राप्त किया। इकाई ने उक्त ब्लॉक अवधि के दौरान अनुमानित एनएफई (Projected NFE) की तुलना में ₹130.26 करोड़ का सकारात्मक संचयी एनएफई (Positive Cumulative NFE) अर्जित किया, जो अनुमानित एनएफई का 152% है।
- विनिर्दिष्ट अधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा दिनांक 31.03.2026 कोई रोजगार सृजित नहीं किया गया है।
- समिति ने यह भी अवलोकन किया कि विनिर्दिष्ट अधिकारी (SO) की रिपोर्ट के अनुसार, इकाई द्वारा नीचे दिए गए विवरणानुसार भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त भुगतानों के विरुद्ध डीटीए (DTA) में सेवाएं प्रदान की गई हैं:

वर्ष	डीटीए बिक्री आईएनआर में, राशि करोड़ रु. में
2020-21	13.9547
2021-22	0.1755
2022-23	0.00
2023-24	0.00
2024-25	0.00
2025-26	0.00
कुल	14.1302

चूंकि यूनिट को विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त हुआ है, इसलिए अनुमोदन समिति ने एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) (iii) के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए एससीएन जारी करने का निर्देश दिया।

- समिति ने इकाई को निगरानी अवधि हेतु पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) के सही अमॉर्टाइज्ड मूल्य (Amortised Value) के साथ एपीआर (APR) संशोधित करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

1	Name of the SEZ	M/s. Wipro Ltd.
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	36 th
4	Date	01.07.2026

Members present:

Sr No	Name and Designation (Smt/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath, Jt. Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Abhinav Rathi, Dy. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Shri. Sanjiv Patil, Industries Officer, Pune Region	Nominee of Govt. of Maharashtra
4	Shri Plato Lobo, Asstt. Director General of Foreign Trade	Nominee of DGFT, Pune
5	Shri Navanath Awatade, Sub Regional Officer	Nominee of Maharashtra Pollution Control Board
6	Shri. Prashant Rohanekar, Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. Shambhu Dayal Meena, Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 35th meeting held on 07.05.2026

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 35th Approval Committee meeting held on 07.05.2026.

Agenda Item No. 02: Action taken report for the Minutes of the 35th meeting held on 07.05.2026.

After deliberation, the Committee has noted the Action taken report for the meeting held on 07.05.2026.

Agenda Item No.03: Application for List of Additional Goods and Services required for Authorized Operations submitted by M/s. Wipro Ltd. (Developer)

After deliberation, Committee considered the request of the Developer and approved the list of additional goods and services required for refurbishment of existing infrastructure totally valued at Rs. **238.715 Crores** duly certified by the Chartered Engineer T.N. Suresh Kumar, AM 78162/5, in terms of Rule 12(2) of SEZ Rules, 2006.

Sr No	Name of Authorized Operation	Annexure	Goods / Services against Facility, security and IT Infrastructure. (Amt in Cr.)	Duty Forgone (In Cr.)
1.	Estimated Value of Goods against Facility, security and IT Infrastructure	I	42.915 Cr.	11.50 Cr.

2.	Estimated Value of Services against Facility, security and IT Infrastructure	II	195.80 Cr.	35.24 Cr.
	Total		238.715	46.74 Cr.

Agenda Item No.04: Monitoring of Performance of M/s Wipro Ltd (Unit-I)

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 18 years (5 years of 1st Block i.e. FY 2007-08 to 2011-12, 5 years of 2nd Block i.e. FY 2012-13 to 2016-17 and 5 years of 3rd Block period i.e. FY 2017-18 to FY 2021-22 and 3 years of 4th Block period i.e. FY 2022-23 to FY 2024-25) in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006.

- The Unit has achieved export revenue of Rs. **2976.51 Crores** as against projected exports of Rs. **870.00 Crores** and has achieved Positive Cumulative NFE of Rs. **2955.35 Crores** in 1st Block period i.e. FY 2007-08 (including 2 month of 2006-07) to 2011-12.
- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 9940.82 Crores** as against projected export of **Rs. 5187.73 Crores** and has achieved Positive Cumulative NFE of **Rs. 9905.62 Crores** in 2nd Block period i.e. FY 2012-13 to 2016-17.
- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 12206.63 Crores** as against projected export of **Rs. 11265.00 Crores** and has achieved Positive Cumulative NFE of **Rs.12178.93 Crores** in 3rd Block period i.e. FY 2017-18 to 2021-22.
- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 5093.92 Crores** as against projected export of **Rs. 10033.03 Crores** and has achieved Positive Cumulative NFE of **5075.99** in 3 years i.e. FY 2022-23- FY 2024-25 of 4th Block period.
- As per SO report, the unit has achieved employment of **458 employees (Male: 275, Female: 183)** as on 31.03.2025.
- The committee in view of the SO report, observed that the unit has provided services in DTA against the payments received in INR as detailed below:

Year	DTA Sale in INR As per SO Report (Rs. in Cr.)
2007-08	5.89
2008-09	2.43
2009-10	87.29
2010-11	113.35
2011-12	51.93
2012-13	11.66
2013-14	37.88

2014-15	63.72
2015-16	52.71
2016-17	302.32
2017-18	380.5719
2018-19	332.8624
2019-20	231.8378
2020-21	287.5356
2021-22	323.4256
2022-23	223.7144
2023-24	57.5155
2024-25	1.8475
Total	2568.4907

Since providing of “Services” in DTA against payment received in INR does not qualify as ‘Services’ as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, The unit has made violation of various provision of SEZ Act / Rules and under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

As the Unit has received payment in INR instead of Foreign Currency the Approval Committee directed to issue a SCN for contravening the provision of Section 2(z)(iii) of SEZ Act, 2005.

- The committee noted that there was delay in filing of APRs by the Unit, as detailed below:

APR for the year	Date of filing	Last Date of filling	Delay
2007-08	04.09.2008	30.06.2008	2 Months 5 days
2008-09	02.09.2009	30.06.2009	2 Months 3 days
2009-10	01.07.2010	30.06.2010	1 day
2011-12	07.04.2014	30.06.2012	21 Months 8 days
2014-15	17.07.2015	30.06.2015	17 days
2015-16	05.07.2016	30.06.2016	5 days
Total delay			26 Months 9 Days

Since the unit has failed to file APRs in stipulated time, the Committee directed to issue Show Cause Notice to the unit.

- The Specified Officer informed the Committee that, due to the non-availability of the requisite information for the period 2007-08 to 2016-17, the report had been prepared based on the APRs submitted by the unit. In this connection, the Committee directed the unit to furnish a declaration regarding the accuracy and correctness of the information furnished in the APRs and the same been taken for Monitoring of performance in this UAC.
- The unit was directed by the UAC to correct the amortization figure of the capital goods for the monitoring period.

Agenda Item No. 06: Monitoring of Performance for M/s. Wipro Limited (Unit- IV).

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 5th year i.e. FY 2020-21 of 2nd block period and 5 years of the 3rd Block period of FY 2021-22 to FY 2025-26 in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. The details are as under:

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 32.78 Crores** as against projected export of **Rs. 5.27 Crores** in 5th Year i.e. FY 2020-21 of the 2nd Block period of FY 2016-17 to FY 2020-21
- The unit has achieved a Positive Cumulative NFE of **Rs. 75.89 Crores i.e. 315%** of the projected NFE in the 2nd Block period (FY 2016-17 to FY 2020-21).
- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 133.98 Crores** as against projected export of **Rs. 88.72 Crores** and achieved a Positive Cumulative NFE of **Rs. 130.26 Crores i.e. 152%** of the projected NFE in 5 years i.e. FY 2021-22 to FY 2025-26 of the 3rd Block period.
- As per SO report the unit has Nil employment as on 31.03.2026.
- The committee also observed that as per SO report, the unit has provided services in DTA against the payments received in INR as detailed below:

Year	Value in Cr.
2020-21	13.9547
2021-22	0.1755
2022-23	0.00
2023-24	0.00
2024-25	0.00
2025-26	0.00
Total	14.1302

Since providing of “Services” in DTA against payment received in INR does not qualify as ‘Services’ as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, The unit has made violation of various provision of SEZ Act / Rules and under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

As the Unit has received payment in INR instead of Foreign Currency the Approval Committee directed to issue a SCN for contravening the provision of Section 2(z)(iii) of SEZ Act, 2005

The committee directed the unit to revise the APRs for the monitoring period with correct amortised value of capital goods.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयएएस)
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)

अध्यक्ष-सह- विकास आयुक्त
Chairman-cum- Development Commissioner